FORM - VII

Revised Certificate of Registration issued under Section 9 (4) of the Haryana Registration and Regualtion of Sociaties Act. 2012 upon allotment of a new registration nubmer

(See rule 2 and rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that Holy Faith Education Society (name of the society) a registered vide Registration Number 527 on 5 June 2002 registered with District registrar/Registrar Chd. has been allotted a new Registration Number as undermentioned on this 24 day Dec. month 2012 year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State code		District Code			Year of Registration				Registration Number				
H	R	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	6	4

Name of the Society	Registered Office Address
Holy Faith Education Society	Village:- Nanuana Teh:- Rania Distt. Sirsa. (Hry.)

Issued under my hand at Sirsa. this 24 day of (month) Dec. (Year) 2012

Seal : Distt. Registrar of Firms&Societies * SIRSA (Hry)

24/12

Distt. Registrar of Firms & Societies SIRSA (Haryana

District Registar of Societies
Sirsa

Station :

समिति का ज्ञापन पत्र

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1	सोसाईटी का नाम	**HOLY FAITH EDUCATION SOCIETY** (As approved by Distt registrar its Memo No.- Date)
2	सोसाईटी का रजिस्टरीकृत कार्यालय पर होगा	VPO- , Distt. पिन कोड – राज्य हरियाणा।
3	अधिकारिता :	हरियाणा राज्य
4	सोसाईटी के लक्ष्य तथा उददेष्य निम्न प्रकार होंगे :–	

1. समिति द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन व इनके विकास के लिए वर्ष भर कार्यक्रम व गतिविधियां आयोजित की जाएंगी यथा सैमीनार,विष्य विशेषज्ञयों से रूबरू कार्यक्रम, तकनीकी कार्यशाला व कोशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने ।
2. समिति द्वारा युवा वर्ग को शिक्षा व समाजिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।
3. समिति द्वारा समाज के सभी वर्गों हेतु समाजिक, धार्मिक व राजनितिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा यथा मेलों का प्रबन्ध, खेल अखाड़ों का प्रबन्ध व उत्तम तकनिकों द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को कुशल बनाना ताकि वे समाज में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा सके ।
4. समिति द्वारा समाज में नशा, दहेज प्रथा, भरूण हत्या, पराविरक मन मुटाव के बारे में जागरूक किया जाएगा ।
5. समिति द्वारा समय समय पर सैमीनार व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें समाज के बुधिजीवी व अच्छे चरित्र वाले व्यकितयों को उनकी उपलब्धियों के लिए समानित किया जाएगा ।

(2) **शासकीय निकाय का निर्वाचन :**

(a) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथी तीन वर्ष की होगी ।

(b) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचीत/प्रदर्शित करेगा । शासकीय निकाय तिथी समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा । शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें ।

(c) मत के लिए हकदार सोसायटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसायटी के पदाधिकारीयों के साथ परामर्ष से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा । तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा । उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारीयों तथा कार्यकारी सदस्यों के निवार्चन के लिए निवार्चन की अनुसूची, नामाकन की संवीक्षा तथा वापसी यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा ।

(d) रिटर्निंग अधिकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्षित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथी को निवार्चन करवाएगा । मत के लिए पात्र सदस्य की स्वंय तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसायटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुती पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(e) मतदान की तिथी को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसायटी का शासकीय निकाय गठित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारीयों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा ।

(f) सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी की सेंवाएं देने के लिए किसी परिश्रमिक के लिए हकदार नही होगें ।

(3) **शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना :–**

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसायटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है । शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप मे समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियूक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नही की जाती

प्रधान	**कैशियर**	**सचिव**

(4) **शासकीय निकाय की बैठक** :–

(क) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी । तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी ।

(ख) प्रत्येक एसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथी से पूर्व पदाधिकारीयों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्धारा दिया जाएगा।तथापि,षासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी एसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(ग) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिषत से होगी । यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथी के लिए स्थगित कर दी जाएगी । जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजना के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(ड़) शासकीय निकाय प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(5) **शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः–**

(क) शासकीय निकाय सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसायटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसायटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सषक्त किया जाएगा ।

(ख) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के सक्षम होगा ।

(ग) शासकीय निकाय सोसायटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसायटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देषन के अध्यधीन उचित समझे ।

(घ) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसायटी के सर्वोतम हित मे उचित समझे, मे निधियां निवेश करने सक्षम होगा तथा वह निर्णीत रीति में सोसायटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा ।

प्रधान	**कैशियर**	**सचिव**

(ड़) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सोंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना ।

(च़) सीविनहीन रीति में लिपिकीय लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसायटी के नियमित या अंषकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना ।

(छ़) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसायटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रख रखाव गतिविधियां ।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्यः–

(1) प्रधानः

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियनत्रित करना ।

(ख) सभी एसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

(ग) किसी मामले पर विचार विर्मष को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नही किया जाता है।

(घ) सोसायटी/षासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिष्चित करना।

(ड़) हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम,2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिष्चित करना ।

(च) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाईड करना ।

(2) **उप–प्रधानः–**

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना ।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग ।

(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

(3) **महा–सचिव/सचिवः–**

(क) सोसायटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसे आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों का सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना ।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामिल करना ।

प्रधान	**कैशियर**	**सचिव**

(4) **खजांचीः–**

(क) सोसायटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना ।

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टड लेखाकार द्वारा लेखापरिक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना ।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथी से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना ।

(घ) सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों बैंक पास बुक तथा चैक, नकदी इत्यादी के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(7) **शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्तिः–** शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर ।

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नही रहा है ।

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8) **सोसायटी के नियोजन से अपवर्जन :–**

(क) सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा ।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधी के दौरान सोसायटी सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसायटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा ।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसायटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

(9) **सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :–** सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संषोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा । अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संषोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

(10) **सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :–**

(क) सोसायटी की आय के स्रोतों मं सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्ष फीस, दान, उपहार अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

होंगी। सोसायटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी ।

(ख) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसायटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा ।

(ग) सोसायटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारीयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जांएगे जो समय समय शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए ।

(घ) सभी परिसम्पति तथा निधियों सोसायटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसायटी में निहित होंगी ।

(ड़) सोसायटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जांएगे (अर्थात डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रासंफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंषदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाए अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है ।

(11) **सोसायटी के लेखे** :–

(क) सोसायटी का खंजाची आय कर कानुन तथा या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसायटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ख) सोसायटी की लेखा पुस्तकें सोसायटी के महा रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाऐगी ।

(ग) सोसायटी के वार्षिक लेखे सोसायटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकरियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(घ) शासकीय निकाय ऐसे परिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसायटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी–सदस्य का पारिवारिक सदस्य नही होगा ।

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

(12) **सामान्य मुद्रा** :–

सोसायटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी ।

(13) **सोसायटी का समामेलन** :–

सोसायटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विषेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसायटी को अनुज्ञात कर सकती है ।

(14) **सोसायटी का विघटन** :–

(क) सोसायटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसायटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है ।

(ख) सोसायटी के विघटन की घटना में, सोसायटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसायटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी ।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पतियां/परिसम्पतियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित सथापित किसी अन्य सोसायटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी ।

प्रधान	**कैशियर**	**सचिव**

(15) **फूटकर** :–

(क) सोसायटी समाजिक कार्यों से उत्थान की गति बनाये रखने के लिए लोन, अनुदान प्राप्त कर सकेगी । यह लोन एवंम् अनुदान किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, समिति, आयोग, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार इत्यादी से हो सकेगा ।

(ख) समिति भारत के बाहर से भी लोन, ग्रांट, अनुदान, सबसिडी, छात्रवृति इत्यादी प्राप्त कर सकेगी ।

(ग) समिति द्वारा भाविषय की नितियों के अर्न्तगत राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर व क्षैत्रिय स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी व उनकी जिम्मेदारियां निर्धारित की जा सकेंगी ।

विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत है । सोसायटी की उपविधियों की सही प्रति के रूप में प्रमाणित करते हैं ।

Sr. No.	Name	Address	Age	Occupation	Designation	Signature
1	शीला सिंह पत्नि श्री गौरव प्रिय सिंह	गांव नानुआणा तह0 रानियां जिला सिरसा	32साल	गृहणी	प्रधान	Sheela
2	श्रीमती सावित्री देवी पत्नि श्री हनुमान सिंह	गांव चाणचक, जिला फतेहाबाद	34साल	खेतीबाड़ी	उप–प्रधान	सावित्री
3	मंजीत सिंह दुहन पुत्र श्री वजीर सिंह	गांव नानुआणा तह0 रानियां जिला सिरसा	36साल	व्यापार	सचिव	Ajit
4	श्री मति प्रोमिला पत्नि श्री मंजीत सिंह दुहन	गांव नानुआणा तह0 रानियां जिला सिरसा	32साल	गृहणी	कैशियर	Promila
5	कपिल देव सांगवान	हिसार , जिला हिसार	36साल	व्यापार	सह–सचिव	Kapil
6	श्री मति वीनू कादियान	गांव मांधरी, जिला हिसार	33साल	व्यापार	कार्यकारी सदस्य	Veenu
7	भारत वीर सारोहा	माडल टाउन, हिसार	33साल	व्यापार	कार्यकारी सदस्य	Barat

Sheela — प्रधान

Promila — कैशियर

Ajit — सचिव

Himanshu Mehta Adv
28/11/2010

Certified to be a True Copy
District Registrar of Firms & Societies
SIRSA (Haryana)

अनुबन्ध–3

सोसायटी के लिये उपविधियां

1. सोसायटी का नाम — **HOLY FAITH EDUCATION SOCIETY**
(As approved by Distt registrar its Memo No.DRFS/SRS/------ dt.------------)

2. सोसायटी का रजिस्ट्रकृत कार्यालय
पिन कोड–
पूरा पता — VPO-Nanuana Distt. Sirsa
पिन कोड – , राज्य हरियाणा।

3. सोसायटी का कार्यक्षैत्र — सम्पूर्ण हरियाणा

4. सदस्यता

(1) सोसायटी के संस्थापक सदस्य/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 31 सदास्य होगें।

(2) पात्रता सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किये जाने के उदेष्य से व्यकितः–

- प्रवेश की तिथी को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिये
- सोसायटी के लक्ष्ये तथा उदेश्यों में अंशदान करना चाहिये
- प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिये तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिये वार्षिक सामान बैठक की तिथी को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नही होने चाहिये।
- दिवालिया तथा विक्त चित नही होने चाहिये
- एक वर्ष या अधिक के कारावास लेने वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्दोश नही होना चाहिये ।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग सोसायटी निम्नअनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गो की होगी ।

a) **संस्थापक सदस्य**–सदस्य जो सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर सस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । तथा सोसायटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है । संस्थापक सदस्यों की संख्या 07 से अधिक नही होनी होगी ।
संस्थापक सदस्य सोसायटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसायटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विषेशाधिकार रखेंगे।

b) **आजीवन सदस्यः–** किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसायटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा । आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 10 से अधिक नही होगी।

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

c) **साधारण सदस्य :–** सोसायटी में अधिकतम कुल 21 साधारण सदस्य हो सकेंगे जो उनकी वार्षिक अंषदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे ।

d) **अवैतनिक सदस्य :–** शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसायटी के लिए लाभप्रद के रूप मे समझी जाती है या जिसमें सोसायटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट सेवाएं अर्पित की है या जो सोसायटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देष का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंषदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है । ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नही होगी । अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्ष में सहायक होगें किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नही होगा ।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान :–

(a) सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंषदान निम्न अनसार होंगे ।

जो सोसायटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णीत किए जाए			
कम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंषदान
1	संस्थापक सदस्य	250/–रूपये	शून्य
2	आजीवन सदस्य	500/–रूपये	शून्य
3	सधारण सदस्य	100/–रूपये	500/–रूपये
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

b) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रेल के प्रथम दिन को देय होगा , जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है । चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसायटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नही होगें

c) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रदद किया जा सकता है। तथापि वह वाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निवार्चन में अपना मत डालने के लिए पात्र नही होगा ।

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

(5) **प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):**

(क) सोसायटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेष समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा :

(ख) सोसायटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित पारूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसायटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव का समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ग) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा ।

(घ) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा । यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नहीं होगा ।

(ड़) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा , उसका नाम हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन तथा विहित एसी रीती तथा परूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसायटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(च) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उसके फोटो , सक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(7) **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :–**

a) सोसायटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विश्टि तथा समय समय पर संशोधित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे।

b) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के किसी देयों तथा देय तिथी से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चुककर्ता नहीं है ।

c) सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसायटी की लेखा पुस्तकों सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

d) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसायटी को सूचित करेगा जो सोसायटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसायटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी

(8) **सदस्यता की समाप्ति :–** सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसायटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

a) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्शित करने

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

b) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर।

c) ऐसे सदस्य के सोसायटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर ।

d) सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार/ महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर ।

e) अवैतनिक सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

सामान्य निकाय :–

(क) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसायटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसायटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसायटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

सामान्य निकाय की बैठकें :–

(क) सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापी सोसायटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) तथा अपेक्षित सोसायटी के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसायटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(ख) सोसायटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसायटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है ।

(ग) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किये जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथी समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा । ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी ।

(घ) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यो का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हों लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है

प्रधान **कैशियर** **सचिव**

(ड़) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिषत से होगी । गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यधीन कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी । सामान्य नकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए एसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा । कोई विषेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसायटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिषत उपस्थित है ।

(च) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों मे) अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्तारक्षित किए जाएंगे ।

सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

(क) सोसायटी को इसके लक्ष्यों तथा उददेष्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाईड करना ।

(ख) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसायटी के नाम का परिवर्तन सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसायटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन सोसायटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्यकार्य जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हों ।

(ग) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचन करना ।

(घ) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना ।

8 **शासकीय निकाय :**

(1) संयोजन : सोसायटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 11 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा :

(क) प्रधान
(ख) उप प्रधान
(ग) महा सचिव/सचिव
(घ) संयुक्त सचिव
(ड़) खंजाची
(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित छह कार्यकारी सदस्य
(ञ) इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर आवष्यक्ता पड़ने पर नये पदों का सृजन किया जायेगा ।

प्रधान **कैशियर** **सचिव**